कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/473/2023/

लखनऊः दिनांकः 15/01/2024

// कार्यालय ज्ञाप //

"उ0प्र0 सरकार नियुक्ति अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या-6/12-12-1973-नियुक्ति-4 दिनांक 07.10.1974 में उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में प्रकिया जब कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य सेवायोजन चाहते हों तो बिन्दु-7 में निहित प्राविधान हैः-

"यदि मृत सरकारी सेवक के कुटुम्ब के एकाधिक सदस्य इस नियमावली के अधीन सेवायोजन चाहते हो तो कार्यालय का प्रधान, सेवायोजित करने के लिए व्यक्ति की उपयुक्ता को विनिश्चित करेगा। समस्त कुटुम्ब, विशेषता उसके विधवा तथा अवयस्क सदस्यों के कल्याण के निमित्त उसके सम्पूर्ण हित को भी ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जायेगा।

स्व0 केवल प्रसाद, वरिष्ठ सहायक, सामु0स्वा0केन्द्र, जलेसर, अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा की सेवाकाल में दिनांक 08.11.2021 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप उनके आश्रित पुत्रों द्वारा विभाग में सेवायोजित किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेन्च, लखनऊ के समक्ष पृथक-पृथक रिट योजित हुई जिसका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0सं0	रिट याचिका संख्या	याची का नाम	मा0 उच्च न्यायालय का प्रभावी अंश
1	5923/2023 मोहित चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य	श्री मोहित चौधरी पुत्र स्व0 केवल प्रसाद	Considering innocuous prayer being made by learned counsel for petitioner and without entering into the merits of the case, opposite party No.2 i.e. Director General, Medical and Health, Swasth Bhawan, U.P., Lucknow or any other competent authority shall consider and decide the dispute by reasoned and speaking order within a period of eight weeks from the date a certified copy of this order is produced before said authority after affording an opportunity of hearing not only to petitioner but to all the heirs of Late Kewal Prasad. With the aforesaid observation, petition stands disposed of. **Order Date :- 11.8.2023**
2	9981/2023मुकेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य	श्री मुकेश कुमार स्व0 केवल प्रसाद	4. Considering the innocuous prayer, without entering into merits, liberty is granted to petitioner to file a fresh representation before opposite party no. 2 i.e. Director General, Medical and Health, Swasth Bhawan, U.P. Lucknow or any other competent authority who shall consider and decide the same within a period of six weeks' after affording opportunity of hearing to all the heirs of deceased employee. 5. With aforesaid observations and directions, the petition is finally disposed of. **Order Date :- 22.12.2023**

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-ए-5923/2023 मोहित चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2023 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी(1)/473/2023/157-61 दिनांक 05.01.2024 द्वारा श्री मोहित चौधरी का प्रकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के द्वारा दिनांक 18.12.2023 एवं 22.12.2023 के माध्यम् से उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या/संस्तुति जिसमें वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 08.02.2022 में अंकित पारिवारिक सदस्यों को सुनवाई का अवसर देते हुए निम्न निर्णय लिया गया हैः-

मृतक आश्रित नियमावली दिनांक 07.10.1974 के बिन्दु संख्या-7 में निहित प्राविधान के कुटुम्ब में अर्न्तगत नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी एटा द्वारा उपलब्ध करायी गयी चार सदस्यीय जांच समिति की जांच आख्या के निष्कर्ष को दृष्टिगत रखते हुए जिसमें मृत सरकारी सेवक स्व0 श्री केवल प्रसाद के "कुटुम्ब" में विशेषता उनकी विधवा पत्नी, तत्पश्चात् अविवाहित पुत्री एवं माता के बयानों की एकमतता (3/4 बहुमत) परिलक्षित होती है। उक्त के आलोक में नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/संस्तुति के आधार पर एवं (विधि प्रकोष्ठ), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ के अभिमत के क्रम में विभागीय हित में याची श्री मोहित चौधरी को विभाग में सेवायोजित किये जाने की "उपयुक्तता" पायी जाती है, याची के सेवायोजित किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप पृथक से निर्गत किया जायेगा।

मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-ए-9981/2023 मुकेश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2023 के अनुपालन में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी(1)/473/2023/163-67 दिनांक 05.01.2024 द्वारा श्री मुकेश कुमार का प्रत्यावेदन दिनांक 22.12.2023 बलहीन पाते हुए निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-4डी(1)/473/2023/157-61, दिनांक 05.01.2024 द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में एवं नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी, एटा के पत्र 27.12.2023 के माध्यम से श्री मोहित चौधरी पुत्र स्व0 श्री केवल प्रसाद, निवासी-शान नगर, फरदपुर जिला गोण्डा की

नियुक्ति मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-नियमावली 1974, यथा संशोधित अधिनियम, उ0प्र0 शासन, चिकित्सा अनुभाग-4 के पत्रावली सं0-5-4099/901/2022-4-I/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के क्रम में एवं कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी0सी0-VI(II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्राख्यापित **"उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली 2022"** में निहित प्राविधान के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के पत्र संख्या-सी0एम0ओ0/मृ0आ0/लिपिक/सेवायोजित/2023-24/13327, दिनांक 27.12.2023 तथा प्रकरण में नियंत्रक अधिकारी किये गये पत्राचार के माध्यम से उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन बैण्ड रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000/- (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-3) में समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्थायी रूप में अधोलिखित शर्तो के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है:-

1. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
2. उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य महंगाई भत्ता व अन्य भत्ते देय होंगे।
3. यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत् रूप से मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा के समक्ष उपस्थिति होकर निम्नलिखित अभिलेखों/साक्ष्यों को परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा:-
   (क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।
   (ख) अन्तिम शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
   (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो भली-भांति जानते हों किन्तु सम्बन्धी न हों।
   (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।
   (ड़) संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा का प्रमाण पत्र।
   (च) अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, यदि विवाहित हो तो एक जीवित पत्नी का घोषणा पत्र।
5. यह नियुक्ति उ0प्र0 सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तेहरवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/टी0सी0-VI(II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तो के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आश्रित कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 सोसासटी द्वारा प्रदत्त सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेत्तर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि बढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।
6. **कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन अधिसूचना संख्या-6/12-73-का-2-2001, दिनांक 12.10.2001 में (नियम-5 का संशोधन) के बिन्दु-3 में यह प्राविधान है कि-**

3- उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम-2(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात्-
"(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे।"
4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इन्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम-(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। उक्त नियुक्ति शासनादेश दिनांक 12.10.2001 में दिये गये इस प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि श्री मोहित चौधरी, मृतक स्व0 केवल प्रसाद के परिवार के अन्य आश्रितों का भरण-पोषण करेगें एवं समुचित देखभाल करते रहेंगे। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

7. मृतक कर्मचारी, पति-पत्नी दोनों केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत् की दशा में यह सेवायोजन निष्प्रभावी माना जायेगा।
8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य सदस्य को मृतक आश्रित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग में तो नहीं दिया गया है।
9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निहित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर श्री मोहित चौधरी, की हिन्दी कम्प्यूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति के समक्ष, अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा में उपस्थिति होने हेतु पत्र पृथक से निर्गत किया जायेगा। नियंत्रक अधिकारी के माध्यम् से टंकण परीक्षा की तिथि से सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेगी।
11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के नियंत्रक अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा द्वारा प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
13. यदि भविष्य में श्री मोहित चौधरी, द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार श्री मोहित चौधरी, के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
14. श्री मोहित चौधरी, "उत्तर प्रदेश, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अधीनस्थ कार्यालय)," लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली-1994, से आच्छादित रहेगें।

(डा0 राजागणपति आर0)
आई0ए0एस0
निदेशक (प्रशासन)

संख्या-4डी(1)/473/2023/ 332-343. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च लखनऊ।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 प्रयागराज।
3. विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन चिकित्सा अनुभाग-4
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0।
5. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
6. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
7. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
8. **मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-04, 06, 07, 08, 09, 11 एवं 16 पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।**
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी एटा।
10. श्री मोहित चौधरी पुत्र स्व0 श्री केवल प्रसाद, निवासी-शान नगर, थाना-फरदपुर, जिला गोण्डा। (पंजीकृत डाक द्वारा)
11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, गोण्डा को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

15.01.2024
(डा0 रंजना अरे)
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)